



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 634 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० /

दिनांक 30 / 06 / 2020

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी

अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट ।

विषय:- खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 से बचाणगांव के निर्माण कार्य हेतु 1.346 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- 08 बी० / यू०सी०पी० / 06 / 86 / 2018 / एफ०सी० / 671 दिनांक 25.06.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त विषयक खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन सर्शत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या निम्नानुसार है-

बिन्दु संख्या 1:- के अनुपालन के क्रम में वनविभाग के पत्र में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.346 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव आवश्यक धनराशी (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-1) तथा उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के कार्यालय आदेश संख्या 2692/ग्यारह-19 (2015-16) दिनांक 15.03.2016 के क्रम में राजस्व निरीक्षण की आख्या अमलदरामद के अनुसाद दिनांक 24.02.2020 को उक्त भूमि का अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 2:- के अनुपालना के क्रम में सड़क निर्माण के पश्चात प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पेड़ स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी जमा कर दी जायेगी।

बिन्दु संख्या 3:- के अनुपालन के क्रम में आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है।

बिन्दु संख्या 4:- के अनुपालन के क्रम में यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

बिन्दु संख्या 5:- के अनुपालन के क्रम में निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशी जमा करा दी गई है।

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्त 05 प्रतियों में।

0/C

0/C

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक 634 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / तदिनांक 30/06/2020

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी देहरादून (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला उत्तरकाशी

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्र संख्या 662/पी.एम.जी.एस.वाई./सि०ख० दिनांक 01.09.2015 के द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड नौगाँव में एन०एच०-94 खराही नगाणगाँव के कि०मी० 9.00 से बसाणगाँव मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 4.364 है० भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट ने अपने पत्र संख्या मेमो/१०का०/विविध जांच/2015-16 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक चपटाड़ी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानसार बचाणगाँव के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र चपटाड़ी अन्तर्गत खसरा सं० 1133 रक्वा 0.940 है०, 1229 रक्वा 0.439 है०, 1313 रक्वा 0.826 है०, 1365म० रक्वा 0.202 है०, 2320 रक्वा 0.862 है०, 2318 रक्वा 0.559 है० एवं 2349 रक्वा 0.518 है० कुल रक्वा 4.346 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त ग्राम में प्रस्तावित भूमि के नक्शा, खसरा, उद्घरण खतौनी मय संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार मौजा ग्राम बचाणगाँव में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में वर्ग-9(3)ड. खाता संख्या 19 में दर्ज खसरा संख्या 1133 रक्वा 0.940 है०, 1229 रक्वा 0.439 है०, 1313 रक्वा 0.826 है०, 1365म० रक्वा 0.202 है०, 2320 रक्वा 0.862 है०, 2318 रक्वा 0.559 है० एवं 2349 रक्वा 0.518 है० कुल रक्वा 4.346 है० सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2692/म्यारह-19 (2015-16)

दिनांक 15 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।

2- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/ तहसीलदार तहसीलदार बड़कोट ।

3- अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिचाई खण्ड पुरोला ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

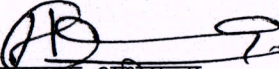
(प्रपत्र-51)

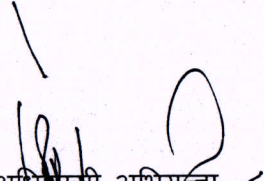
कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नगाण के किमी 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-4.30 किमी)

एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

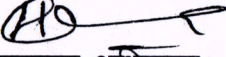

अधीनस्थ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

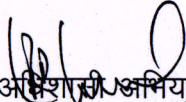
(प्रपत्र-51)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नगाण गांव मोटर मार्ग के किमी० 9.00 से बचाण गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-4.30 किमी०)

Strip plantation कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण उक्त प्रकरण में जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई०
पुरोला


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई०
पुरोला

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, सिंखा, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purota (Uttarakashi)
 E-Mail: acpmgsy.purota@rediffmail.com Tel.No: 01193-237339

क्रमांक-936/सा.प्र.जी.पी.एस.वाई.सिंखा

दिनांक 31.08.2019

सुबोध

मुख्य अभियन्ता
 पीएमजीएसवाई

विषय - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एमएसडी 94 नमूनेवाले मोटर मार्ग के किमी 0.90 से बचानावाले मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1346.50 वन भूमि का वन सहाय्य अभियन्ता 1980 के वन अधिनियम के तहत वन विभाग को भूमि सहाय्य प्रस्ताव।

संदर्भ

उपरोक्त विषयक अग्रिम कार्रवाई के लिए वन सहाय्य मार्ग की आवश्यकता निर्धारण माना सरकार परामर्श एवं एवं वन विभाग अधिकारी के माध्यम से लक्ष्य कार्यवाही (उत्तर नमूनेवाले मोटर मार्ग के द्वारा प्राप्त की जाती है। ऊपर मोटर मार्ग के लिए वन सहाय्य जमा करने की कृपा करें।

एन.पी.जी.पी.एस.वाई.सिंखा

सहाय्यक अभियन्ता एवं वन सहाय्य हेतु प्रस्ताव - 825 181 00 50
 वन सहाय्य - 17,09,500.00 40

पर जमा

Date 31.08.2019

Received for

(Receipt)

By Cash

By Cheque

Rs. 17,09,500/-

[Signature]

दिनांक 31/08/19

मुख्य अभियन्ता

सिंखा

अभिजात अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

सिंखा